न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

रामचन्द्र पुत्र भेरूराम गुर्जर
निवासी बासेड़ तह. परबतसर

1. देवकरण पुत्र भेरूराम गुर्जर
2. सहदेव पुत्र भेरूराम गुर्जर
   निवासी बासेड़ तह. परबतसर
3 तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादी

श्री शैतानसिह अधिवक्ता प्रतिवादी 1, 2

मुकदमां नम्बर :–2019/00214 (83/2019) निर्णय दिनांक :– 26/7/21

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता गजराज चौहान ने यह वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम बासेड़ के खसरा नम्बर 101, 102, 103, 104 105 कुल रकबा 6.69 हैक्टयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 53, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4 कुल रकबा 49–07 बीघा थे। उक्त भूमि वादी ने प्रतिवादी 1, 2 के साथ दिनांक 31.12.1990 को रजिस्टर्ड बैचान से सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा खरीद किया है। लेकिन नामान्तकरण संख्या 181 के जरिये वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से छुट गया एवं बैचान दस्तावेज के आधार पर केवल प्रतिवादी 1, 2 के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। इस भूमि में वादी 1/4 हिस्से में 1/3 हिस्से अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 51/827 हिस्से का काबिज काश्तकार हैं। वादी ने वाद पेश कर ग्राम बासेड़ के खसरा नम्बर 101, 102, 103, 104 105 कुल रकबा 6.69 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 1, 2 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में से कम कर वादी को 51/827 हिस्से का प्रतिवादी 1 को 51/827 हिस्से का तथा प्रतिवादी 2 को 51/827 हिस्से की खातेदारी घोषणा कर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नहीं करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा सै पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1, 2 ने दिनांक 04.12.2019 को जरिये अधिवक्ता श्री शैतानसिंह इकबालिया जबाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए निवेदन किया हैं कि वादी के वाद में वर्णित इस्तदुआ अनुसार वाद डिक्री किया जाता हैं तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रतिवादी 3 का सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी साक्ष्य पेश नहीं कर पक्षकारो की सहमति से वाद का निर्णय किया जाने का निवेदन किया गया।
3. वादी को वाद पर उभय पक्षकारो के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया।
4. वादी ने वाद के साथ बैचान दस्तावेज 31.12.1990 की प्रति पेश की हैं जिसके अनुसार ग्राम बासेड़ के खसरा नम्बर 53, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4 कुल रकबा 49–07 बीघा भूमि के तत्कालीन खातेदार राधेश्याम पुत्र सुरजकरण, कमला पत्नी राधेश्याम केसरचन्द नाबालिग जरिये संरक्षक राधेश्याम जाति साद निवासी बासेड़ से रामचन्द्र पुत्र हजारी व जीवण, प्रताप पि. पन्नाराम गूजर 1/2 हिस्सा रामलाल पुत्र माधू गूर्जर कानी पत्नी मुगना गुर्जर 1/4 हिस्सा व सहदेव, रामचन्द्र, देवकरण पि. भैरूराम गुर्जर 1/4 हिस्सा खरीद किया जाना अंकित हैं,इस बैचान के आधार पर नामान्तकरण 181 दर्ज किया गया जिसमें 1/4 हिस्से में सहदेव, देकवरण पि. भैरूराम 1/4 दर्ज कर दिया जिसमें वादी रामचन्द्र का नाम छोड़ दिया जो नामान्तकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है। वादी ने खसरा मिलान क्षेत्रफल पेश किया हैं जिसके अनुसार गत खसरा नम्बर 53, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4 कुल रकबा 49–07 बीघा के नये खसरा नम्बर 101, 102, 103, 104 105 कुल रकबा 6.69 हैक्टयर कायम हुऐ हैं जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के अनुसार इस भूमि में 3/32 प्रतिवादी देवकरण, व 3/32 हिस्सा प्रतिवादी सहदेव के नाम दर्ज रिकार्ड है। बैचान दस्तावेज से साबित होता हैं कि प्रतिवादी 1, 2 के साथ वादी ने 1/4 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचान से खरीद की हैं। नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का नाम दर्ज करने से छोड़ दिया जिसके कारण वादी का नाम दर्ज खातेदारी में दर्ज नहीं हुआ है। जिसको प्रतिवादी 1, 2 ने इकबालिया जबाब पेश कर स्वीकार किया है तथा वादी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
रतनसर (नागौर)

दर्ज किये जाने में सहमति दी है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रतिवादीगण की स्वीकारोक्ति से वादी का वाद साबित होता हैं स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादी का वाद खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा साबित होने से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम बासेड़ के खसरा नम्बर 101, 102, 103, 104 105 कुल रकबा 6.69 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 1, 2 के नाम दर्ज भूमि में से कम कर वादी व प्रतिवादी 1, 2 प्रत्येक को 51/827 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादी के हक हिस्से में दखलन्दाजी नहीं करे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 26/7/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

डिक्री मुकदमां इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)
अदालतः– उपखण्ड अधिकारी परबतसर , जिला नागौर, राज.
अज अदालत :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

रामचन्द्र पुत्र भेरूराम गुर्जर
निवासी बासेड़ तह. परबतसर

1. देवकरण पुत्र भेरूराम गुर्जर
2. सहदेव पुत्र भेरूराम गुर्जर
   निवासी बासेड़ तह. परबतसर
3 तहसीलदार परबतसर

मुकदमां नम्बर :– 2019/00214 निर्णय दिनांक :– 26.07.2021

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादी श्री शैतानसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी 1, 2 को डिक्री दी जाती हैं कि :–

ग्राम बासेड़ के खसरा नम्बर 101, 102, 103, 104 105 कुल रकबा 6.69 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 1, 2 के नाम दर्ज भूमि में से कम कर वादी व प्रतिवादी 1, 2 प्रत्येक को 51/827 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादी के हक हिस्से में दखलन्दाजी नहीं करे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.07.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः 26/7/21
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक		NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL